

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-157/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० आरसी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुशेश्वरस्थान, दरभंगा के दिनांक-16.07.2026 से 11.01.2027 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन को प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित/उपभोग की जानेवाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-157/2026-

1897(2)

पटना, दिनांक 7/8/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुशेश्वरस्थान, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/ डा० आरसी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुशेश्वरस्थान, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

35
26/8/2026

सरकार के अवर सचिव।

६